ग्राम पंचायत बगड़ोली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176022 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बगड़ोली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री सुशील कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राम कुमार	01.04.2022 से 14.09.2022
2	श्रीमति रीना देवी	15.09.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री महिन्द्र सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राजन शशि	01.04.2022 से 04.08.2023
2	श्री हरदीप सिंह	05.08.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत बगड़ोली के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰ स॰	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.04
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	10.41
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.46
4	6.3	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.09
5	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	3.56
6	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	1.29
7	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.30
8	8.1	पेवर ब्लॉक्स के क्रय में अनियमितता	3.33
9	8.2	माप पुस्तिका में गलत गणना करने से वास्तविक मूल्यांकन से अधिक भुगतान करना	0.07
10	8.3	व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	1.02
11	9	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	1.02

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बगड़ोली के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25.06.2024 से

01.07.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	03/2023	06/2022
2023–24	11/2023	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/280 दिनांक 01.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/269 दिनांकः 25.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत

के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5)(₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	140582.00	358239.00	498821.00	380856.00	117965.00
2023-24	117965.00	462416.00	580381.00	551968.00	28413.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5)(₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1840714.00	2813554.00	4654268.00	3569801.00	1084467.00
2023-24	1084467.00	1901663.00	2986130.00	1944694.00	1041436.00

कुल योग (1+2) 28413.00 +1041436 = 1069849

(ख). बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष ₹10,69,849/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹10,66,081/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र॰ स॰	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/ तीसरा वित	का॰के॰सह॰बैंक फतेहपुर	20028012700	24044
2	टी.एस.सी	का॰के॰सह॰बैंक रैहन	50051847466	140643
3	वी.के.वी..एन.वाई	का॰के॰सह॰बैंक रैहन	50051847308	6242
4	पी.एस	का॰के॰सह॰बैंक रैहन	50051847444	6724

5	जेड.पी	का•के•सह•बैंक रैहन	50051847477	15173
6	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक रैहन	50051847411	26692
7	15वॉं वित्तायोग / पी. एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक रैहन	50071868711	845962
	हस्तगत शेष			601
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				₹1066081
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹1069849
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				₹1066081
अन्तरः–				₹3768

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ANNUAL REPORT

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.04 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बगड़ोली द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹3768/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 270 दिनांकः–26.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–06 / 2024 दिनांकः 01.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं।

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.15वां वित	14/14.06.2022	मस्टोल स. 224822	निर्माण रास्ता व नालियां कृष्ण कुमार के घर से स्वरूप के घर तक वार्ड 6	28350
2.15वां वित	20/17.06.2022	196/03.06.2022	निर्माण रास्ता लिंक रोड से महिन्द्र के घर तक गांव सोनार्थ वार्ड 1	36000
3.15वां वित	22/17.06.2022	13/05.06.2022	निर्माण रास्ता व नालियां गांव गुब्बर वार्ड 3	29150
4.मनरेगा	07/01.06.2022	85796/22.06.2022	निर्माण जीप योग्य रास्ता जगदीश बगैराह के घर से शमशानघाट वार्ड 3	50671
5.15वां वित	04/04.07.2023	296/06.03.2023	निर्माण नाली मुरम्मत रास्ते गांव मौखर वार्ड 2	43650

यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279

दिनांकः 01.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांकः 01.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ.) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत बगड़ोली द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों जैसे कि तीसरा वित इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, तीसरा वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20028012700 खोला गया था तथा इस खाते में ही प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया था व इससे ही व्यय किया गया था। जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय

स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279 दिनांकः–01.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 06/2024 दिनांक 01.07.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ANNUAL REPORT

5.1 अनुदान राशि ₹10.41 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/269 दिनांकः–25.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹10,41,436/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	टी.एस.सी/एस.बी.एम	31.03.2024	140643
2	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	6242
3	पी.एस	31.03.2024	6724
4	जेड.पी	31.03.2024	15173

5	एम.पी.लेड	31.03.2024	26692
6	15वॉं वित्तायोग	31.03.2024	845962
		कुल जोड़	**₹1041436**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/271 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांक–01.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.46 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/269 दिनांकः–25.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर शीर्ष में **₹46350**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी एवं ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 2023–24 के दौरान कोई वसूली नहीं की गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पंचायत द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष होना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/272 दिनांकः–27.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली को करने उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य

में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1200/- की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 06 विवाह पंजीकृत किये गये, जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कम राशि की वसूली गई थी जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹1200 वसूल किये जाने अपेक्षित थे:–

क्र0सं0	नाम	विवाह दिनांक	पंजीकरण दिनांक	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि(₹)
1.	नीरज कुमार	26.04.22	31.05.22	423568	400	200	200
2	प्रदीप सिंह	11.11.22	16.12.22	423588	400	200	200
3	गुरप्रीत सिंह	24.09.23	04.11.23	0503497	400	200	200
4	नीरज सिहाल	22.09.23	04.11.23	0503498	400	200	200
5	नीरज कुमार	08.12.23	23.12.23	शून्य	200	00	200
6	राकेश कुमार	05.01.24	16.03.24	0503516	400	200	200
				योग	**2200**	**1000**	**1200**

उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 272 दिनांकः 27.06.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बगड़ोली के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र

संख्याः–06 / 2024 दिनांकः 01.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.09 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या ''0235–00–800–03'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व संलग्न **परिशिष्ट ''5''** के अनुसार ग्राम पंचायत बगड़ोली द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1.	2022–23	3200
2	2023–24	5600
	जोड़	8800

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 272 दिनांकः–27.06.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बगड़ोली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06 / 2024 दिनांकः– 01.07.2024

द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.55 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

ANNUAL REPORT

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत बगड़ोली के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"6"** में दिए गए विवरणानुसार ₹355988/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/274 दिनांकः–28.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांकः–01.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही सामान का क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹1.29 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

ANNUAL REPORT

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बगड़ोली के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–''6''** पर संकलित राशि ₹129698/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/275 दिनांकः–28.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांकः–01.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.30 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–''7''** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹30341/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/276 दिनांकः–29.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांक 01.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों हेतू गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त सामग्री से रॉयल्टी की राशि की कटौती भी नहीं की गई है। अंकेक्षणापतिनुसार उक्त रॉयल्टी की राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से कर ली जायेगी। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित

विभागीय अधिकारी से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries,102-Mineral Concession Fees and Royalties,81-Other receipts" आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतू ₹3.33 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

ANNUAL REPORT

सचिव (RD & PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से एक निविदा आमंत्रित करके किया गया था तथा नहीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction.बारे दिशा–निर्देशों की अनुपालना के संदर्भ में निर्माण कार्यों हेतु कोई कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	15TH FC	19/17.06.2022	06/2022	60mm(Paver Block) from	1455	26190

				M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.Nill dt.-03.06.2022		
2	15^{TH} FC	20/17.06.2022	06/2022	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.196 dt.-03.06.2022	2000	36000
3	15^{TH} FC	21/17.06.2022	06/2022	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.195 dt.-03.06.2022	2500	45000
4	15^{TH} FC	04/04.07.2023	07/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.296 dt.-06.03.2022	2425	43650
5	15^{TH} FC	07/06.07.2023	07/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.319 dt.-01.07.2023	2500	45000
6	15^{TH} FC	08/06.07.2023	07/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.320 dt.-01.07.2023	2500	45000
7	15^{TH} FC	09/06.07.2023	07/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.321 dt.-01.07.2023	2500	45000
8	15^{TH} FC	10/06.07.2023	07/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.332 dt.-01.07.2023	2600	46800
					योग	**332640**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/278 दिनांकः–01.07.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय के पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांकः– 01.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है।

अतः उक्त व्यय को पत्र में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.2 निमार्ण कार्य गलियां वार्ड 4 गांव होशियाणा में माप पुस्तिका में गलत गणना करने से वास्तविक मूल्याकंन से अधिक ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करने बारे।

ANNUAL REPORT

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर की वास्तविक राशि से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अकेक्षण के दौरान, चयनित माह 06/2022 के व्यय वाउचर के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मस्ट्रोल संख्या–16180 दिनांकः–14.06.2022 द्वारा ₹35386 का भुगतान किया गया था, परन्तु माप–पुस्तिका संख्या 14065 के पृष्ठ संख्या 56 व 57 में सभी मदों की राशि के गलत जोड करने से वास्तविक मूल्यांकन से निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹7338/– का अधिक भुगतान किया गया थाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	मास	वास्तविक मूल्यांकित राशि	दर्शायी गयी मूल्यांकित राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1.	15वां वित	15/14.06.22	06/2022	28048	36456	35386	7338

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279 दिनांकः–01/07/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–06/2024 दिनांकः–01.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित फर्म/संविदाकार से वसूली कर ली जायेगी तथा संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्रश्नात्मक राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.3 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

ANNUAL REPORT

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या— SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA- 5684-5808 , Dated:-25-05-2022 के अनुसार The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula:—Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost के अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार करवाये गये कार्य में उक्त नियमानुार भुगतान न करके ₹5523 का अधिक भुगतान किया गया थाः—

अनुदान शीर्ष	वाउचर स0/दि0	बिल स0/दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1 मनरेगा	13/ 06.06.2022	142/ 15.12.2020	नि0 गउशाला संजय कुमार वार्ड–5	14193 [8516+(8516X2/3)]	19716	5523

उक्त मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279 दिनांकः— 01.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 06/2024 दिनांकः— 01.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी निर्माण कार्य हेतु खरीदी गई सामग्री के लिये अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली

संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके तथा संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी। प्रस्तुत प्रतिउतर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अधिक किये गये भुगतान बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

8.4 15वें वित के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹1280/– का अधिक भुगतान करना :–

1. निर्माण कार्य गंदे पानी की निकासी हेतु निर्माण नालियां गांव खैरियां वार्ड–7 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 14122 के पृष्ठ संख्या 18,19 व 20 में निर्माण सामग्री रेत का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 50 दिनांकः–31.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 4m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन व सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹1280 का अधिक भुगतान किया गया था।

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि (₹)
1.	15वां वित	रेत	4m3	3.19m3	.81 m3	1580	12879 और 1280

<u>वास्तविक खपत योग्य रेत का विवरण :–</u>

1 Item-4 P/L(1:3:6) =04.32m3 X 0.47(Sand. Factor) +5%(Variations) =2.13m3
Item-2 P/L(1:4:8) =02.16m3 X 0.47(Sand Factor)+5%(Variations) =1.06m3
Total =3.19

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279 दिनांकः–01.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–06/2024 दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली

से संबंधित व्यक्ति/संविदाकार से करके तथा संबधित खाते में जमा करवा दी जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ₹1.02 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹1,02,030/— के निमार्ण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः—

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	15वां वित	5,7,8/04, 06.07.23	निर्माण/मुरम्मत रास्ते गांव गुब्बर वार्ड—3	102030

उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत बगड़ोली से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279 दिनांकः— 01/07/2027 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—06/2024 दिनांकः— 01/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹13.18 लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 06/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹13,18,187/— का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279 दिनांकः—01.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बगड़ोली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 06/2024 दिनांकः— 01.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट,

लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैः–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के ''परिशिष्ट – ई'' में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2..नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यो की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5.निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/279 दिनांकः–01.07.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बगड़ोली को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांकः– 01.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है तथा विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हें तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अतंर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/269 दिनांकः 25.06.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–06/2024 दिनांकः– 01.07.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी । फलस्वरूप नियमानुसार समुचित एवं पारदर्शी लेखांकन व्यवस्था के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वगीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक	....	....

	कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर		
11	विकास कार्यों का निषादन रजि0	07	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/269 दिनांकः–25.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 06/2024 दिनांकः– 01.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत बगड़ोली द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक

अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत बगड़ोली के चयनित मासों व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी विभागीय निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

15 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

4923-4927

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)422/2024–खण्ड–1 दिनॉक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत बगड़ोली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

ANNEXURE -1"पैरा संख्या 4.1(क)"

FINANCIAL POSITION OF GP BAGROLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	140582.00	358239.00	498821.00	380856.00	117965.00
2023-24	117965.00	462416.00	580381.00	551968.00	28413.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1840714.00	2813554.00	4654268.00	3569801.00	1084467.00
2023-24	1084467.00	1901663.00	2986130.00	1944694.00	1041436.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagroli
v. Block Fatehpur,
Kangra (H.P.)

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या "5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BAGROLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	TSC/SBM	2022-23	93205.00	43360.00	136565.00	49449.00	87116.00
		2023-24	87116.00	53527.00	140643.00	0.00	140643.00
2	VKVNY	2022-23	16247.00	55613.00	71860.00	65802.00	6058.00
		2023-24	6058.00	184.00	6242.00	0.00	6242.00
3	PS	2022-23	1515.00	44.00	1559.00	0.00	1559.00
		2023-24	1559.00	5165.00	6724.00	0.00	6724.00
4	ZP	2022-23	14317.00	408.00	14725.00	0.00	14725.00
		2023-24	14725.00	448.00	15173.00	0.00	15173.00
5	MPLAD	2022-23	25186.00	718.00	25904.00	0.00	25904.00
		2023-24	25904.00	788.00	26692.00	0.00	26692.00
6	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1690244.00	1552060.00	3242304.00	2293199.00	949105.00
		2023-24	949105.00	685991.00	1635096.00	789134.00	845962.00
7	MNREGA	2022-23	0.00	1161351.00	1161351.00	1161351.00	0.00
		2023-24	0.00	1155560.00	1155560.00	1155560.00	0.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagroli
Dev. Block Fatehpur,
Kangra (H.P.)

Checked

28

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1 (ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत बगड़ोली विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176022

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत बगड़ोली के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / तीसरा वित	का•के•सह•बैंक फतेहपुर	20028012700	140582	24044
2	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक रैहन	50051847466	93205	140643
3	वी.के.वी..एन.वाई	का•के•सह•बैंक रैहन	50051847308	16247	6242
4	पी.एस	का•के•सह•बैंक रैहन	50051847444	1515	6724
5	जेड.पी	का•के•सह•बैंक रैहन	50051847477	14317	15173
6	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक रैहन	50051847411	25186	26692
7	15वाँ वित्तायोग / पी.एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक रैहन	50071868711	1690244	845962
	हस्तगत (हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)				601
			कुल जोड.	**1981296**	**1066081**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagroli
Dev. Block Fatehpur,
Kangra (H.P.)

Checked

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या –"6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत बगड़ोली विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176022

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 696 तथा 2023–24 में 711 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	7400	696	50	34800	42200	31400	10800
2023–24	10800	711	50	35550	46350	0	46350
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹46350**/– है।						

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagdoli
Dev. Block Fatehpur,
Kangra (H.P.)

परिशिष्ट – 5 (पैरा संख्या - 6.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत बगडोली

विकास खंड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि० प्र०)

प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है की ग्राम पंचायत बगडोली द्वारा अंकेक्षण अबधि 01/04/22 से 31 /03/2024 तक निम्नलिखित विवाह पंजीकरण फ़ीस प्राप्त की है:-

क्रमांक	अबधि	प्राप्त राशि
1	2022-23	3200
2	2023-24	5600
	कुल योग़	8800

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagdoli
Dev. Block Fatehpur,
Kangra (H.P.)

Checked
Read

परिशिष्ट-6 (पैरा संख्या 7.1 व 7.2)

ग्रा[illegible]त बगड़ोली विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स./दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	09/01.06.2022	Stationary	689/Nil	M/S Bidhi Chand Book Depot Fatehpur			3450	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
2.15TH FC	11-13/08.06.2022	R.C.C.Bench	183-185/10.05.2022	M/S Krishna Interlock Tiles Jhawan Raja ka Talab	24	4166.66	99999.84	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.15TH FC	16-18/16.06.2022	Watercooler 40/80 fitting ,assembling with all material and labour charge	836-838	M/s Pardeep Kumar Houri Devi Fatehpur	3	22650	67950	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
4.15TH FC	22/17.06.2022	Sand	13/05.06.2022	M/S Vinay Kumar Bagroli Houri Devi	10	1580	15800	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			9	1400	12600	
5.15TH FC	23/1/17.06.2022	R.C.C.Pipe	198/04.06.2022	M/S Krishna Interlock Tiles Jhawan Raja ka Talab	16	1265.5	20248	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
6.15TH FC	24/17.06.2022	Sand	14/20.06.2022	M/S Vinay Kumar Bagroli Houri Devi	9	1580	14220	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			10	1400	14000	
7.NREGA	11/06.06.2022	Sand	143/01.03.2021	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	2.5	1600	4000	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			1	1600	1600	
8.NREGA	12/06.06.2022	Sand	145/01.03.2022	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	2.5	1600	4000	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			1	1600	1600	
9.NREGA	13/06.06.2022	Sand	142/15.12.2020	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	3.5	1600	5600	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			3.5	1600	5600	
10.NREGA	14/06.06.2022	Sand	141/01.02.2021	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	3.5	1600	5600	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			3.5	1600	5600	
11.NREGA	15/06.06.2022	Sand	144/01.02.2021	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	3	1300	3900	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			5	1000	5000	
12.NREGA	16/06.06.2022	Sand	137/01.04.2021	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	3	1300	3900	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			6	1200	7200	
13.NREGA	17/06.06.2022	Sand	138/01.04.2021	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	3	1300	3900	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			6	1200	7200	
14.NREGA	18/06.06.2022	Sand	140/01.04.2021	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	3.5	1600	5600	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			3.5	1600	5600	
15.NREGA	19/06.06.2022	Sand	139/02.04.2021	M/s Sushil Kumar Jharoli Larhun Nurpur	3	1300	3900	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			6	1200	7200	
16.15TH FC	06/04.07.2023	Sand	50/31.03.2023	M/S Vinay Kumar Bagroli Houri Devi	4	1580	6320	दो निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			6	1400	8400	
17.15TH FC	11,19,20/12.07.2023	Cement Board with writing	128-130/04.04.2023 ,Nil	M/S Sonu Painter& Artist Kathal Bhaleta	3	2000	6000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
							355987.8	

नोट:- 1 क्रम संख्या 1 से 17 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है
2. क्रम संख्या 1, 2, 5, व 17 की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagroli
Dev. Block Fatehpur,
Kangra (H.P.)

परिशिष्ट - 7 (पैरा संख्या- "4.3")

ग्राम पंचायत बगड़ोली खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
15TH FC,MNREGA								
M/s Vinay Kumar Bagroli Houri	22/17.06.2022	13/05.06.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	9.000	1.52	13.680	80	1094.40
do	24/27.06.2022	14/20.06.2022	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	06/04.07.2023	50/31.03.2023	Sand	4.000	1.62	6.480	80	518.40
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	04/27.06.2023	17/20.06.2022	Sand	8.920	1.62	14.450	80	1156.03
			Bajri	19.000	1.52	28.880	80	2310.40
do	08/27.06.2023	23/17.06.2022	Sand	5.000	1.62	8.100	80	648.00
			Bajri	2.400	1.52	3.648	80	291.84
do	09/27.06.2023	15/30.07.2022	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	32.000	1.52	48.640	80	3891.20
							Total	16391.87
							25% Penalty	4097.97
							(1)G.Total	20489.84
M/s Sushil Kumar Sharma Jharoli Larhun	11/06.06.2022	143/01.03.2021	Sand	2.500	1.62	4.050	80	324.00
			Bajri	1.000	1.52	1.520	80	121.60
do	12/06.06.2022	145/01.03.2022	Sand	2.500	1.62	4.050	80	324.00
			Bajri	1.000	1.52	1.520	80	121.60
do	13/06.06.2022	142/15.12.2020	Sand	3.500	1.62	5.670	80	453.60
			Bajri	3.500	1.52	5.320	80	425.60
do	14/06.06.2022	141/01.02.2021	Sand	3.500	1.62	5.670	80	453.60
			Bajri	3.500	1.52	5.320	80	425.60
do	15/06.06.2022	144/01.07.2021	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	5.000	1.52	7.600	80	608.00
do	16/06.06.2022	137/01.04.2021	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	17/06.06.2022	138/01.04.2021	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	18/06.06.2022	140/01.04.2021	Sand	3.500	1.62	5.670	80	453.60
			Bajri	3.500	1.52	5.320	80	425.60
do	19/06.06.2022	139/02.04.2021	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
							Total	7880.80
							25% Penalty	1970.20
							(2)G.Total	9851.00
							(1+2)G.Total	30340.84

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagdoli
Block Fatehpur
Kangra (H.P.)

Checked